

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 30.09.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

दुष्कर्म के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 478/19 धारा 376 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता फरियाद पुत्र अली रजा निवासी हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 28.09.2019 को अभियुक्त द्वारा वादिनी को हैंसर बाजार से दवा लेकर वापस घर जाते समय अकेला पाकर झोपड़े के पास ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया था जिस पर दिनांक 28-09-2019 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे थाना धनघटा पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.09.2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

वारण्टी

थाना दुधारा पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता रामवृक्ष पुत्र रामदुलारे निवासी बरगदवा कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता हनुमानशरण यादव पुत्र रामसूरत निवासी सुरैना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा एक वारण्टी (अलग-अलग मामलो मे 02 वारण्ट) नाम पता झिनकू पथरकट्ट पुत्र कोदई पथरकट्ट निवासी नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता – 1 – अलाउद्दीन पुत्र मुल्तानी निवासी नयी बाजार अव्वल केवटलिया 2 – राधेश्याम केवट पुत्र गणेश केवट निवासी सोहरवा पक्का पोखरा 3 – शायरा खातून पत्नी मकबूल निवासी नयी बाजार थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 6160 से कालर ने दुर्घटना होने के सम्बन्ध मे सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में मौके पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल हुये व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया तथा दुर्घटना मे सम्बन्ध मे थाना धनघटा को सूचना दी गयी । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल हुये व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गयी । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी अमला प्रसाद, आरक्षी राणा प्रताप सिंह, हो0चा0 सुनील कुमार ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 28 वाहनो से 19300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 30-09-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 28 वाहनो से 19300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 30-09-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 17 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 51 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।